



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-४, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, १३ जनवरी, २०११

पौष २३, १९३२ शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-९

संख्या ६०/नौ-९-२०११-६५ज-०९

लखनऊ, १३ जनवरी, २०११

अधिसूचना

प०आ०-११३

चूंकि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, १९५९ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, सन १९५९) की धारा ५४० की उप-धारा (२) और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, १९१६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, सन १९१६) की धारा ३०० की उप-धारा (१) के अधीन यथा अपेक्षित आपत्तियों और सुझाव आमंत्रित करने के लिये सरकारी अधिसूचना संख्या-७६८/नौ-९-२०१०-६५ज/२००९, दिनांक १३ मई, २०१० में उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सूचना का लोक प्रकटीकरण) नियमावली, २०१० प्रकाशित की गयी थी ;

और चूंकि नियत समय के भीतर इस सम्बन्ध में कोई आपत्तियों अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतएव, अब उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, १९५९ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, सन १९५९) की धारा ११४, ५४० और ५७३-ख तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, १९१६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, सन १९१६) की धारा ७, २९६ और ३३२-क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल किसी नगर पालिका द्वारा नगर शासन के विभिन्न तथ्यों से संबंधित सूचना के प्रकटीकरण को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सूचना का लोक प्रकटीकरण)

नियमावली, २०१०

१-(१) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सूचना का लोक प्रकटीकरण) अधिनियम, २०१० कही जावेगी।

सचिव नग्न, लखनऊ
लोक और प्रारम्भ

(2) यह उत्तर प्रदेश में समस्त नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनोंक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषा

2-(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में,—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य नगर निगमों के मामले में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और नगर परिषद अथवा नगर पंचायत के मामले में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) "लोक प्रकटीकरण" का तात्पर्य नगर शासन के विभिन्न तथ्यों अर्थात् नियम-3 में यथाउल्लिखित सार्वजनिक प्रशासनिक संरचना का विवरण, वित्त-व्यवस्था और कार्यों से संबंधित किसी नगर पालिका द्वारा सूचना के प्रकटीकरण से है।

(ग) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के यही अर्थ होंगे जो उनके लिए क्रमशः अधिनियम या भारत के संविधान में समनुदेशित हैं।

नगर पालिका का पालिका

3-प्रत्येक नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 673-ख की उपधारा(1) अथवा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 332-क की उप-धारा (1) में उल्लिखित क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित प्ररूपों में अपना अभिलेख अनुरक्षित करेगी और त्रैमासिक अंतरालों पर अपेक्षित सूचना के प्रकटीकरण के लिए उक्त धाराओं में उपबंधित रीति से उन्हें प्रकाशित करेगी।

आज्ञा से,
आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव।

अनुसूची
(नियम 3 देखें)
प्रपत्र-1
कार्यवाही

1-नगर पालिका का नाम _____

2-वार्डों की संख्या _____

3-जनसंख्या _____

पुरुष _____ स्त्री _____

4-कारिद का विवरण

(क) वर्तमान परिषद के गठन का दिनांक _____

(ख) मेयर/अध्यक्ष का विवरण _____

अवधि	नाम पता टेलीफोन फैक्स ई-मेल

(ग) समासदों/सदस्यों का विवरण

वार्ड संख्या और वार्ड का नाम	समासद का नाम	संपर्क के लिए दूरभाष संख्या

(घ) कार्यपालक समिति के सदस्यों का विवरण

क्रम संख्या	नाम	पदावधि	अभ्युक्ति

5- _____ को हुई कार्यपालक समिति की बैठक की कार्यवाही

6- _____ को हुई नगर पालिका सभा की कार्यवाही

प्रपत्र-2

अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	संपर्क के लिए दूरभाष संख्या

प्रपत्र-3

अधिकारियों का विवरण जो श्रुत, अनुज्ञा एवं अनुज्ञप्ति देते हैं और नागरिक सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	सौंपे गये कर्तव्य और उत्तरदायित्व	कार्यालय का पता

प्रपत्र-4

तुलना पत्र, प्राप्तिर्घों और व्यय एवं वार्षिक बजट का संपरीक्षित वित्तीय विवरण

महीना	प्राप्तिर्घों	व्यय	अभ्युक्ति
अप्रैल			
मई			
जून			
जुलाई			
अगस्त			
सितम्बर			
अक्टूबर			
नवम्बर			
दिसम्बर			
जनवरी			
फरवरी			
मार्च			
योग			

वार्षिक बजट का विवरण

वर्ष—

आय

व्यय

अभ्युक्ति

प्रारम्भिक अतिशेष—

राजस्व खाता—

राजस्व खाता—

पूँजीगत लेखा—

पूँजीगत लेखा—

उत्पन्न खाता—

उत्पन्न खाता—

अंतिम अतिशेष—

योग—

योग—

प्रपत्र-5

नगरपालिका द्वारा उपभोगित की जा रही प्रत्येक सेवाओं के लिए उपबंधित किए गये सेवा स्तर

विभिन्न वार्डों में सेवाओं का स्तर

सेवाओं का नाम	अतिविशिष्ट (वार्डों का नाम)	सामान्य(वार्डों का नाम)	सामान्य से नीचे (वार्डों का नाम)	अभ्युक्ति
1-स्वच्छता (क) घर से घर संग्रहण (ख) स्रोत पर पृथक्करण				
2-स्ट्रीटलाइट				
3-सड़कों और नाले				
4-निर्धारण अनुज्ञप्ति और राजस्व संग्रहण				
5-जैल अपशिष्ट प्रबंधन				
6-उद्यान और पार्क				
7-अन्य				

प्रपत्र-6

समस्त योजनाओं, प्रस्तावित व्यय, प्रदान की गई प्रमुख सेवाओं या निष्पादित क्रिया-कलापों पर वास्तविक व्यय और किये गये वितरणों पर रिपोर्टों का विवरण

1-योजनाओं का ब्यौरा

2-मुख्य सेवाएँ	स्पष्टता	प्रस्तावित व्यय	वास्तविक व्यय
	स्ट्रीट लाइट		
	घोस अपशिष्ट प्रबन्धन		
	सड़कें, नाले		
	और अन्य नागरिक कार्य		
	सद्यान और पार्क		
	अन्य		

3-अन्य क्रिया-कलाप

प्रपत्र-7

निगम द्वारा प्रदान की गयी प्रमुख सेवाओं और उसके द्वारा निष्पादित क्रियाकलापों पर राज्य सहायता कार्यक्रमों का ब्यौरा और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान की रीति एवं मानदण्ड

राज्य सहायता के कार्यक्रमों का नाम	लाभार्थियों के पहचान की रीति और मानदण्ड	कार्यक्रमों का ब्यौरा	टिप्पणियाँ
1-			
2-			
3-			
4-			
5-			

प्रपत्र-8

नगर पालिका द्वारा उपकर्मित किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा

क्रम संख्या	कार्यक्रमों का नाम	कार्यक्रमों का विवरण	कार्यक्रमों का प्रभाव	अभ्युक्ति
1-				
2-				
3-				
4-				
5-				

प्रपत्र-9

शहरी विकास योजनाओं का ब्यौरा और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

1	शहरी विकास योजना का नाम	योजना का शीर्षक	प्रस्तावित व्यय
2	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट		

प्रपत्र-10

प्रमुख कार्यो का विवरण कार्यो का मूल्य पूर्णता का समय और संविदा का ब्यौरा

क्रम संख्या	मुख्य कार्यो का नाम	कार्य की लागत	पूर्णता का समय	संविदा का ब्यौरा	अभ्युक्ति

प्रपत्र-11

नगर पालिका निधि का ब्यौरा

पूर्ववर्ती वर्ष—

चालू वर्ष—

	कर	मौग	संग्रह
1.			
2.			
3.			
योग			

	करेतर	मौग	संग्रह
1.			
2.			
3.			
योग			

कुल योग (कर + करेतर) =

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से प्राप्त निधि

	धनराशि	उद्देश्य	उपयोग की स्थिति
1-अनुदान			
2-ऋण			
3-राज सहायता			
4-सरकार का अंश			
5-न्यायमन			
6-अन्य			

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. LX/Nine-9-2011-65J/09, dated 13 January, 2011:

NOTIFICATION

No. LX/Nine-9-2011-65J/09
Lucknow : Dated: 13 January, 2011

WHEREAS the Uttar Pradesh Municipalities (Public Disclosure of Information) Rules, 2010, was published in Government notification no. 768/Nine-9-2010-65J/09, dated May 13, 2010 for inviting objections and suggestions as required under sub section (2) of section 540 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) and sub section (1) of section 300 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916);

AND whereas no objections or suggestions have been received in this regard within the stipulated time;

NOW, therefore, in exercise of the powers under sections 114, 540 and 573-B of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) and sections 7, 296 and 332-A of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916), the Governor is pleased to make the following rules with a view to regulating the disclosure of information pertaining to various facts of municipal governance by a municipality:-

THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES (PUBLIC DISCLOSURE OF INFORMATION) RULES, 2010

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Municipalities (Public Disclosure of Information) Rules, 2010.

Short title,
application and
commencement

(2) They shall be applicable to all Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats in Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2.(1) In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context,-

Definitions

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 in case of the Municipal Corporations and the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 in case of a Municipal Council or a Nagar Panchayat;

(b) 'Public disclosure' means disclosure of information by a municipality pertaining to various facts of municipal governance, namely personnel, particulars of administrative structure, finances and operations as mentioned in rule-3.

(c) 'Schedule' means the Schedule appended to these rules.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the Constitution of India.

3. Every Municipal Corporation or Municipal Council or Nagar Panchayat shall maintain its records with respect to the activities mentioned in sub-section (1) of section 573-B of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 or in sub-section (1) of section 332-A of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 as the case may be, in the Forms given in the Schedule and publish them in the manner provided in the respective section of the said sections, to disclose the required information at quarterly intervals.

Obligation of a
Municipality

By order,
ALOK RANJAN,
Pramukh Sachiv.

SCHEDULE

(See rule 3)

Form-1**The proceedings**

1. Name of Municipality.....
2. Number of Wards
3. Populations

Male..... Female.....

4. Detail of Council

(a) Date of Constitution of present Council

(b) Details of Mayor/President

Period	Name Address Telephone Fax E-mail

(c) Detail of Corporators/Members

Ward No. and Name of Ward	Name of Corporator	Contact Number

(d) Details of the Members of Executive Committee

Sl. No.	Name	Tenure	Remarks

5. Proceeding of the meeting of Executive Committee held on

6. Proceeding of the Municipality House held on

Form-2**Directory of the Officers and Employees**

Sl. No.	Name	Designation	Contact Number

Form-3

The particulars of Officers who grant concessions, permits, licenses and provide civic amenities

Sl. No.	Name	Designation	Entrusted duties and Responsibilities	Address of the Office

Form-4

Audited financial statements of balance sheet, receipts and expenditure and annual Budget

Month	Receipts	Expenditure	Remarks
April			
May			
June			
July			
Aug.			
Sep.			
Oct.			
Nov.			
Dec.			
Jan.			
Feb.			
Mar.			
Total			

Details of Annual Budget

Year

Income	Expenditure	Remarks
Opening Balance	Revenue Account	
Revenue Accounts	Capital Account	
Capital Accounts	Suspense Accounts	
Suspense Accounts	Closing Balance	
Total	Total	

Form-5

The service levels provided for each of the services being undertaken by the Municipality
Level of services in various wards

Name of the services	Extra Ordinary (name of wards)	Normal (name of wards)	below normal (name of wards)	Remarks
1. Sanitation (a) door to door collection (b) segregation at source				
2. Street Light				
3. Roads and Drains				
4. Assessment, Licenses and Revenue Collection				
5. Solid Waste Management				
6. Garden and Parks				
7. Others				

Form-6

Particulars of all Plans, proposed expenditure, actual expenditure on major services provided or
Activities performed and report on disbursement made.

1. Details of Plans

2. Major Services	Sanitation	Proposed expenditure	actual expenditure
	Street Light		
	Solid Waste Management		
	Roads, drains and other civil works		
	Garden and Parks		
	Others		

3. Other Activities

Form-7

Details of subsidy programs on major services provided or activities performed by the Corporation
and manner and criteria of identification of beneficiaries of such programs

Name of subsidy programs	Manner and criteria of identification of beneficiaries	Details of the programs	Remarks
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Form-8

Details of programs undertaking by the Municipality

Sl. No.	Name of Programs	Description of the programs	Impact of the Programs	Remarks
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Form-9

Particulars of City Development Plans and detailed project reports

1.	Name of the City Development Plan	Summary of the Plan	Proposed expenditure
2.	Detail Project Report		

Form-10

Particulars of major works, values of works, time of completion and detail of contract

Sl. No.	Name of Major Works	Cost of the work	Time of Completion	detail of contract	Remarks

Form-11

Details of Municipality Fund

Previous year

Current year

Sl.No.	Tax	Demand	Collection
1.			
2.			
3.			
Total			

Sl.No.	Non Tax	Demand	Collection
1.			
2.			
3.			
Total			

Grand Total (Tax + Non Tax) =

Funds from State Government and Central Government

Amount	Purpose	Position of Utilization
--------	---------	-------------------------

1. Grants
2. Loans
3. Subsidy
4. Government Share
5. Devolution
6. Others

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-1155 राजपत्र (वि०)-2011 (2300)-599 प्रतियां-कम्प्यू/आफ।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-21 रा० नगर विकास-2011-(2301)-500 प्रतियां-कम्प्यू/आफ।